रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01082025-265171
CG-MH-E-01082025-265171

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3464] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947
No. 3464] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

का.आ. 3548(अ).— खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के अनुसरण में और खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा अन्य) रियायत नियम, 2016 के नियम 16 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, खान मंत्रालय (भारतीय खान ब्यूरो) की अधिसूचनाओं को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या एस.ओ. 1856(ई), दिनांक 18 मई, 2016 और संख्या एस.ओ. 1871(ई), दिनांक 18 मई, 2016 के माध्यम से प्रकाशित हुई थी, अधिक्रमित करते हुए, सिवाय ऐसी चीजों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई थी या की जानी बाकी थी, भारतीय खान ब्यूरो एतद्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत खनन योजना के साथ संदत्त अप्रतिदेय शुल्क निम्नलिखित तालिकानुसार निर्दिष्ट किया जाता है, अर्थात : —

क्रम संख्या	खननपट्टे का क्षेत्रफल	अप्रतिदेय शुल्क
1	10 हेक्टेयर तक	पाँचहजार रुपये
2	10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी खनन पट्टे	प्रति वर्ग किलोमीटर या उसके भाग के लिए पच्चीस हजार रुपये

बशर्ते कि बेरियम, फेल्सपार, अभ्रक और क्वार्ट्ज के संबंध में 10 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले अनुमोदन के लिए प्रस्तुत खनन योजना के लिए, अप्रतिदेय शुल्क केवल एक हजार रुपये होगा।

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एम-11022(एमपी)/2/2022-सीसीओएम-एमडीआर-आईबीएम_मुख्यालय]

पीयूष नारायण शर्मा, महानियंत्रक(प्रभारी)

MINISTRY OF MINES

(Indian Bureau of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2025

S.O. 3548(E).—In pursuance of clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the Mines and Minerals(Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 16 of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 and in supersession the notifications of the Government of India, Ministry of Mines (Indian Bureau of Mines) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1856(E), dated the 18th May, 2016 and *vide* number S.O. 1871(E), dated the 18th May, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Indian Bureau of Mines hereby specify the following non-refundable fee to be accompanied with the mining plan submitted for approval, namely:—

S. No.	Area of mining lease	Non-refundable fees
1	Upto 10 hectares	Five thousand rupees
2	All mining leases having area more than 10 hectares	Twenty-five thousand rupees per square kilometres or part thereof

Provided that for mining plan in respect of Barytes, Felspar, Mica and Quartz for an area up to 10 hectares submitted for approval on or before the 31st December, 2025, the non-refundable fee shall be one thousand rupees only.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. M-11022(MP)/2/2022-CCOM-MDR-IBM_HQ]

PEEYUSH NARAYAN SHARMA, Controller General I/C

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA